राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़
Email:- registrar.rmpu@gmail.com, Contact No. 7017836228

पत्रांकः–आर0एम0पी0यू0 / 1162 / 2022 दिनांकः 13 सितम्बर, 2022

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / प्रबंधक,
समस्त महाविद्यालय,
सम्बद्ध राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय,
अलीगढ़।

विषयः परास्नातक स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उच्च शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 401 / सत्तर–3–2022 दिनांकः 9 फरवरी, 2022 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं Ph.D. स्तर पर सत्र 2022–23 से लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुक्रम में विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकोष्ठ की संस्तुति के आधार पर स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 सत्र 2022–23 से लागू किये जाने का अनुमोदन मा0 कुलपति जी द्वारा प्रदान किया गया है। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकोष्ठ के संलग्न निर्देशों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 सत्र 2022–23 से लागू करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,
13/9/22
(महेश कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. समस्त संकायाध्यक्ष, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
3. समस्त संयोजक, अध्ययन समिति, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकोष्ठ की संलग्न संस्तुति के आधार पर अपने विषय के पाठ्यक्रम BoS से संस्तुत कराकर दिनांकः 16 सितम्बर, 2022 तक विश्वविद्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. प्रभारी वेबसाइट को इस निर्देश के साथ कि समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के लागिन आई0डी0 एवं विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. सम्पादक, समस्त समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ कि उक्त महत्वपूर्ण सूचना को अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र में छात्रहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल।

सहा0 कुलसचिव

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकोष्ठ–2020

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सम्बन्धी आवश्यक प्रस्ताव

1. नवीन अथवा पुरातन प्रणाली के तीन वर्षीय स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थी स्नातकोत्तर कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेंगे । यह वर्ष उच्च शिक्षा का चतुर्थ वर्ष कहलायेगा ।

2. इस वर्ष में प्रवेश विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश परीक्षा अथवा मैरिट पर आधारित होगा । प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगी।

3. स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष में न्यूनतम 52 क्रेडिट अर्जित कर, उत्तीर्ण करने के पश्चात् यदि कोई छात्र छोड़ कर जाना चाहता है तो उसे स्नातक (शोध सहित) की उपाधि दी जायेगी। स्नातकोत्तर प्रथम व द्वितीय वर्ष दोनों में न्यूनतम 52+48 क्रेडिट अर्जित करके उत्तीर्ण करने पर छात्र को उस संकाय के उस मुख्य विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जायेगी ।

4. स्नातकोत्तर में एक ही मुख्य विषय (मेजर विषय) होगा । सैद्धान्तिक विषयों (नॉन प्रक्टीकल) में चार थ्यौरी के पेपर (05 क्रेडिट का प्रत्येक) अथवा प्रयोगात्मक विषयों में चार थ्यौरी के व एक प्रयोगात्मक पेपर (सभी 04+04 क्रेडिट) प्रत्येक सेमेस्टर में होंगे। इस प्रकार एक सेमेस्टर के मुख्य विषय के पेपर्स के 20 क्रेडिट होंगे । सैद्धान्तिक विषयों (नॉन प्रक्टीकल) के सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि पॉच क्रेडिट के चार पेपर बनाये जाने हैं । यहॉ सैद्धान्तिक विषयों में अतिरिक्त पॉचवें प्रयोगात्मक पेपर को बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रत्येक सेमेस्टर में महत्वपूर्ण रिसर्च प्रोजेक्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप समाहित किया जा चुका है।

5. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के छात्र को प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में एक माइनर इलेक्टिव पेपर, मुख्य विषय से अलग किसी अन्य संकाय के विषय का लेना होगा । यह पेपर 4 क्रेडिट का होगा ।

6. प्रत्येक विषय में चार सेमेस्टर का पाठ्यक्रम तैयार होगा जिसके प्रत्येक सेमेस्टर में चार मेजर पेपर, एक माइनर पेपर (अन्य संकाय से केवल प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में) तथा एक रिसर्च प्रोजेक्ट विद्यार्थी को पढ़ने होंगे । अतः पाठ्यक्रम की योजना इसी प्रकार रहेगी । प्रयोगात्मक विषयों में मेजर पेपरों की संख्या 05 हो जायेगी।

7. प्रत्येक विषय के प्रथम सेमेस्टर के प्रथम मेजर पेपर का पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि उस पेपर का अन्य संकायों के विद्यार्थी भी सुविधापूर्वक अध्ययन कर सकें । 5 क्रेडिट के मेजर पेपर का पाठ्यक्रम प्रायः इस प्रकार बनना चाहिए कि प्रत्येक पेपर में 5 क्रेडिट बराबर 5 यूनिट में विभाजित किये जायें ताकि विद्यार्थियों द्वारा उसका चयन माइनर इलैक्टिव के रूप में किया जा सके क्योंकि माइनर इलैक्टिव में केवल 4 क्रेडिट के पेपर या 5 क्रेडिट के पेपर में से 4 क्रेडिट के पाठ्यक्रम का ही अध्ययन किया जाना है ।

8. रिसर्च प्रोजेक्ट प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर तथा द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में आवंटित कर दिया जायेगा। जिसके क्रेडिट उसी सेमेस्टर में विद्यार्थी को प्राप्त होंगे परन्तु मूल्यांकन व्यवस्था में प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर तथा द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर का अंकों के आधार पर मूल्यांकन क्रमशः द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में 100 (50+50) अंकों में से होगा ।

9. रिसर्च प्रोजेक्ट / शोध परियोजना एक आन्तरिक सुपरवाइजर के निर्देशन में पूर्ण की जानी है और यदि आवश्यक हो तो को–सुपरवाइजर (जो किसी उद्योग / कम्पनी / तकनीकी संस्थान का हो सकता है) का निर्देशन में सहयोग लिया जा सकता है। रिसर्च प्रोजेक्ट का शीर्षक / विषय प्रतिवर्ष प्रायः अलग–अलग होना चाहिए लेकिन निर्देशक की सहमति एवं विद्यार्थी की रूचि के अनुसार दोंनो वर्षों के रिसर्च प्रोजेक्ट एक ही शीर्षक के साथ किये जा सकते हैं । सामान्यतः रिसर्च प्रोजेक्ट 05–05 विद्यार्थियों के समूह बनाकर आवंटित किये जायेंगे ।

10. रिसर्च प्रोजेक्ट प्रतिवर्ष कुल 08 क्रेडिट का होगा जिसमें से 04 क्रेडिट प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी अर्जित करेगा । प्रोजेक्ट रिपोर्ट / शोध पत्र यदि किसी नामित यू0जी0सी0–केयर लिस्ट के जर्नल / शोध पत्रिका में प्रकाशित हो जाता है तो विद्यार्थी को अतिरिक्त 25 अंक मूल्यांकन में दिये जायेंगे परन्तु कुल प्राप्तांक कभी भी 100 से अधिक नहीं होंगे।

11 ललित कला संकाय के विषयों में प्रयोगात्मक भाग का भारांक अधिक रहेगा जिसमें थ्यौरी के दो पेपर और प्रयोगात्मक के तीन पेपर (प्रत्येक 4 क्रेडिट का) बनाये जा सकते हैं ।

(प्रो0 अरुण कुमार गुप्ता)
प्राचार्य, श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़
समन्वयक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 प्रकोष्ठ

(डॉ0 कमल सिंह)
एसो0प्रो0
धर्मसमाज कालेज, अलीगढ़

(डॉ0 हरेन्द्र कुमार गौड़)
असि0प्रो0
श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़

(डॉ0 मोनिका)
एसो0प्रो0
टीकाराम कॉलेज, अलीगढ़

सदस्यगण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 प्रकोष्ठ राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh

Structure of Syllabus for P.G. Programmes

Program : M.A. / M.Sc. / M.Com. Subject : ____________

Structure of Syllabus Developmed by			
Name of BoS Convener / BoS Member	Designation	Department	College

Course/Paper		Course/Paper	Credits	T/P	Evaluation	
					CIE	ETE
Code	Category	Title				
		Semester VII (Year I)				
	Major One	Compulsory Subject Paper	4/5	T	25	75
	Major Two	Compulsory Subject Paper	4/5	T	25	75
	Major Three	Compulsory Subject Paper	4/5	T	25	75
	Major Four	Compulsory Subject Paper	4/5	T	25	75
	Major Five *	Practical Paper	4	P	25	75
	Minor Elective (Sixth) * *	Subject Elective from Other Faculty (Select any one)	4	T	25	75
	Research Project * * *	Topic Selection from Major Subjects / Review of Literature/Industrial Training/Survey	4	R		
		Semester VIII (Year I)				
	Major One	Compulsory Subject Paper	4/5	T	25	75
	Major Two	Compulsory Subject Paper	4/5	T	25	75
	Major Three	Compulsory Subject Paper	4/5	T	25	75
	Major Four	Optional Subject Paper	4/5	T	25	75
	Major Five	Practical Paper	4	P	25	75
	Research Project	Research Project Report Writing/Report Submission / Evaluation	4	R	50	50
		Semester IX (Year II)				
	Major One	Compulsory Subject Paper	4/5	T	25	75
	Major Two	Compulsory Subject Paper	4/5	T	25	75
	Major Three	Compulsory Subject Paper	4/5	T	25	75
	Major Four Select any one	Optional Paper based on Specialization	4/5	T	25	75
	Major Five	Practical Paper	4	P	25	75
	Research Project Sixth	Topic Selection from Major Subjects / Review of Literature/Industrial Training/Survey	4	R		

Semester X (Year II)

	Major One	Compulsory Subject Paper	4/5	T	25	75
	Major Two	Optional Paper based on Specialization	4/5	T	25	75
	Major Three	Optional Paper based on Specialization	4/5	T	25	75
	Major Four	Optional Paper based on Specialization	4/5	T	25	75
	Major Five	Practical Paper	4	P	25	75
	Research Project Sixth	Research Project Report Writing/Report Submission / Evaluation	4	R	50	50

* In case of practical subjects such as Science subjects, H.Sc., Music, Geography, Psychology, Drawing & Painting & DSST etc., there will be 04 theory and one (Fifth) practical paper of 04 Credits each, while in case of theortical subjects such as History, Sociology, Economics, English, Hindi, Pol.Sc., Commerce etc., there will be 04 Theory Papers of 05 Credits each.

* * It is necesary to qualify one minor paper (Elected from Other Faculty) in 1st Semester of 1st year of PG Courses.

* * * It will be a Research Project on Major Subject. It may be based on Interdisciplinary / Multidisciplinary / Industrial Training / Internship / Survey Work. Topic will be allocated in I Semester of 1st Year while evaluation / submission will be done at the end of II Semester. Similar Topics / Another topics will be allocated in the III Semester of 2nd year that will be finally evaluated / submitted in IV semester. The students straight away will be awarded 25 extra marks if he/she publishes a research paper on the topic of research project in any UGC-CARE Listed Journal. But maximum marks obtained by student after evaluation of Reserach Project should not be more than 100.

NOTE : The Coding Scheme for courses / papers should be identical according to DHE UP Govt. Lucknow. A nine digit alpha-numeral (Alphabet + Numbers) code is to be assigned to each course /paper, Description of the code is as follows :

i) First Position - letter R - Post Graduate of RMPSU
ii) Second Position - letter - Faculty code.
iii) Third & Fourth Position - two digits number - Subject number in chosen faculty.
iv) Fifth & Sixth Position - two digits number - Semester number.
v) Seventh & Eighth Position - two digits number - Course / Paper number
vi) Ninth Position - letter - Type of paper - Theory (T), Practical (P), Research Project / Field Work / Industrial Training/ Survey Work / Internship (R)

Example : For Sociology paper one of 1st Semester in PG Course code will be such as :

R A 0 7 0 1 0 1 T

R	=	PG Course of RMPSU	A	=	Faculty Code of Arts
07	=	Subject code of Sociology	01	=	I Semester
01	=	1st Paper	T	=	Theory

Encl. 1. G.O. related to Syllabus Development Guidelines Dt. 9 Feb. 2022.
2. Code list released by DHE UP Lucknow.

AIR(ACR...)
17/02/22

17/02/22

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–401 / सत्तर–3–2022
लखनऊ : दिनॉक: 09 फरवरी, 2022

1– कुलपति,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2– निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०
प्रयागराज।

प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयो एवं महाविद्यालयो मे राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू किए जाने विषयक शासनादेश संख्या–1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 टी.सी., दिनांक 13.07.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करे जिसमें उल्लेख किया गया था कि सी.बी.सी.एस. आधारित नवीन पाठ्यक्रम स्नातक स्तर पर शैक्षिक सत्र 2021–22 तथा उच्चतर स्तरो पर शैक्षिक सत्र 2022–23 से लागू होगा। प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम 2021–22 में लागू कर दिए गए हैं।

2– पाठ्यक्रम पुनर्सरचना की राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी०एच०डी० स्तर पर लागू किये जाने हेतु सुझाव दिये गये है, जिन्हे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय कृपया इन पर विचार करना चाहें तथा स्नातकोत्तर पाठ्यकमों की पुनर्सरचना करके एवं सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके शैक्षिक सत्र 2022–23 से लागू करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीया,
(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–401(1)/सत्तर–3–2022–तद्दिनॉक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ०प्र०।
3– प्रो० हरे कृष्ण, सांख्यिकी विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उ०प्र०।
4– डॉ० दिनेश चन्द्र शर्मा, जन्तु विज्ञान विभाग, कु०मा० कन्या पी०जी० राजकीय महाविद्यालय, बादलपुर, उ०प्र०।

450
17/02/22

आज्ञा से,
(शमीम अहमद खान)
सचिव।

संलग्नक

उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों मे राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी0एच0डी0 स्तर पर लागू किये जाने हेतु सुझाव

उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू किये जाने हेतु उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश संख्या–1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 टी0सी0, दिनांक 13 जुलाई 2021 जारी किया था जिसके बिन्दु संख्या–4 में कहा गया था कि स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी0एच0डी0 पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

इस सम्बन्ध में निम्न सुझाव/योजना प्रस्तुत है :–

क्षेत्र (Scope)-

- जिन संकायों के पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में किसी नियामक संस्था के नियम लागू नहीं होते जैसे कि एम0ए0, एम0एस0सी0 एवं एम0काम0 इत्यादि, उनमें यह व्यवस्था लागू होगी।
- चिकित्सा (Medicine and Dental etc.), तकनीकी शिक्षा (B.Tech, MCA etc.), विधि (बी0ए0–एल0एल0बी0,बी0एस0सी–एल0एल0बी0, एल0एल0बी0, एल0एल0एम0, इत्यादि), शिक्षक शिक्षा (बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड.,एम.पी.एड.) इत्यादि के लिये व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के एन.ई.पी–2020 के अनुरुप नए पाठ्यक्रम व संरचना के आने पर किया जायेगा।

स्नातकोत्तर में प्रवेश व निकास–

- नवीन अथवा पुरातन प्रणाली के तीन वर्षीय स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थी स्नातकोत्तर कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेगें। यह वर्ष उच्च शिक्षा का चतुर्थ वर्ष कहलायेगा।
- इस वर्ष मे प्रवेश विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश परीक्षा अथवा मेरिट पर आधारित होगा।
- प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगी।
- स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष में न्यूनतम 52 क्रेडिट अर्जित कर उत्तीर्ण करने के पश्चात यदि कोई छात्र छोड़ कर जाना चाहता है तो उसे स्नातक (शोध सहित) की उपाधि दी जायेगी। स्नातकोत्तर प्रथम व द्वितीय वर्ष दोनों में न्यूनतम 52+48 क्रेडिट अर्जित करके उत्तीर्ण करने पर छात्र को उस संकाय के उस मुख्य विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जायेगी।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संरचना–

- स्नातकोत्तर कार्यक्रम की संरचना जैसे कि पेपर्स का प्रकार, उनकी संख्या व क्रेडिट इत्यादि, उपरोक्त उल्लेखित 13 जुलाई 2021 के शासनादेश के अंतिम पृष्ठ पर एक तालिका में दी हुई है। सुलभ संदर्भ के लिए यह तालिका इस पत्र के अंत में भी अंकित है।
- स्नातकोत्तर में एक ही मुख्य विषय (Major Subject) होगा।

- स्नातकोत्तर कार्यक्रम सी0बी0सी0एस0 एवं सेमेस्टर प्रणाली में संचालित होगा।
- मुख्य विषय के चार थ्योरी के पेपर (पाँच क्रेडिट का एक) अथवा चार थ्योरी के व एक प्रयोगात्मक पेपर (सभी चार चार क्रेडिट) एक सेमेस्टर में होंगे। इस प्रकार एक सेमेस्टर में मुख्य विषय के पेपर्स के 20 क्रेडिट होंगे। एक वर्ष में 40 व दो वर्ष में 80 क्रेडिट होंगे।
- स्नातकोत्तर कार्यक्रम का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जायेगा कि उसमें अधिकाधिक Optional पेपर्स हों।

  जैसे कि प्रथम सेमेस्टर में चारों थ्योरी पेपर्स अनिवार्य हो सकते हैं। द्वितीय व तृतीय सेमेस्टरर्स में एक अथवा दो पेपर specialization पर आधारित optional पेपर्स में से विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार एवं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इन पेपर्स का चुनाव कर सकता है। चतुर्थ सेमेस्टर में अधिकाधिक अथवा सभी पेपर्स specialization पर आधारित optional पेपर्स होना समुचित रहेगा।
- स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में छात्र को केवल एक माइनर इलेक्टिव पेपर, मुख्य विषय से अलग किसी अन्य संकाय के विषय का लेना होगा। यह पेपर 4 या अधिक क्रेडिट का होगा।
- उपरोक्त सभी पेपर्स के पाठ्यक्रम (Syllabus) विश्वविद्यालय द्वारा अपनी पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) एवं विद्वत परिषद (Academic Council) से शीघ्र ही अनुमोदित करायें जायेगें।

स्नातकोत्तर कार्यक्रम में शोध परियोजना (Research Project)

- उच्च शिक्षा के चतुर्थ एवं पंचम वर्ष (स्नातकोत्तर के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष) में विद्यार्थी को वृहद शोध परियोजना करनी होगी।
- विद्यार्थी को चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में उसके द्वारा चुने गये मुख्य विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी।
- यह शोध परियोजना interdisciplinary/ multi-disciplinary भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इन्डसट्रियल ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
- शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।
- स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट (चार घंटे प्रति सप्ताह) की शोध परियोजना करनी होगी।
- विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Project Report/ Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा। इस प्रकार इस परीक्षा के कुल 8 क्रेडिट होंगे।
- यदि कोई विद्यार्थी अपनी इस शोध परियोजना में से कोई शोध पत्र UGC-CARE listed जर्नल में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान प्रकाशित करवाता है, तो उसे शोध परियोजना के मूल्यॉकन (पूर्णाक 100 में से) में 25 अंक तक अतिरिक्त अंक दिये जा सकते हैं । प्राप्तांक अधिकतम 100 ही होंगे ।
- शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

- क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण तथा उपस्थिति आदि के नियम उपरोक्त उल्लेखित 13 जुलाई 2021 के शासनादेश के बिन्दु संख्या 9 व 10 मे दिये गये है।

पी0एच0डी0 कार्यक्रम

- पी0एच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश एवं संचालन के नियम व अध्यादेश विश्वविद्यालय द्वारा यू0जी0सी0 के दिशा निर्देशों के अनुसार बनाये जाते हैं।
- इसमें शोध परियोजना से पहले प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क करना अनिवार्य होता है।
- सभी विश्वविद्यालयो मे प्री0–पी0एच0डी0 कोर्स की संरचना में एकरूपता लाने के लिए इस कोर्स वर्क में दो पेपर मुख्य विषय के 6–6 क्रेडिट के होंगे तथा एक पेपर 4 क्रेडिट का उस मुख्य विषय से सम्बन्धित Research Methodology (including research ethics, plagiarism and computer applications) का होगा।
- उपरोक्त 16 क्रेडिट के तीन पेपर्स के पाठ्यक्रम (Syllabus) विश्वविद्यालय अपनी पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) एवं विद्वत परिषद (Academic Council) से शीघ्र ही अनुमोदित करायें जायेगें।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमावली–2016 (UGC Regulation 2016) के बिन्दु संख्या 7.8 के अनुरूप प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक (Minimum Passing marks) 55% अथवा समकक्ष ग्रेड/ CGPA होंगें।
- उपरोक्त थ्योरी पेपर्स के अतिरिक्त, प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में एक शोध परियोजना भी होगी, जिसका स्वरूप विश्वविद्यालय की BOS व Academic Council निर्धारित करेगी।
- प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में 16 क्रेडिट अर्जित करके उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी को उस मुख्य विषय में Post Graduate Diploma in Research (PGDR) दिया जायेगा।
- प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क उत्तीर्ण करने के पश्चात विद्यार्थी को पी0एच0डी0 में शोध के लिए पंजीकृत किया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश, संख्या–69/सत्तर–1–2022 दिनांक 06–01–2021 के अनुसार सेवारत शिक्षकों के लिये प्री.पी.एच.डी. कोर्स वर्क को पूर्ण करने हेतु भौतिक कक्षाओं के साथ–साथ आनलाईन प्रक्रिया को भी मान्यता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालयों से कार्यवही करने को कहा है । इस सम्बंध में विश्वविद्यालय सेवारत शिक्षकों के लिये आनलाईन कोर्स वर्क का प्रारुप व नियम बना सकते हैं ।

Department of Higher Education
U.P. Government, Lucknow

Code list

National Education Policy-2020
Common Minimum Syllabus for all U.P. State Universities

Notes:

1. The scheme and titles of papers in all the semesters in all the state/private Universities and colleges, at UG, PG and Ph.D. levels must be strictly identical. This is a must for availing the credit transfer from one University to another. This applies to all the subjects offering major courses/papers.
2. The coding scheme for courses/papers should be identical in all state/private Universities and colleges for uniformity.

Course Codes

A Eight alpha-numeral (letter + digits) code is to be assigned to each course/paper. Description of the code is as follows:

1. First position – Letter – Faculty code
2. Second & third position- two digits – Subject number in chosen faculty
3. Fourth & fifth position – two digits – Semester number
4. Sixth & seventh positions – two digits – Course/paper number
5. Eighth position – Letter – Type of paper – Theory (T), Practical (P), Research project/ Field Work/ Industrial Training/ Survey Work/ Internship (R)

Table of Faculty Codes

Arts	Science	Commerce	Agriculture	Education	Management	Law
A	B	C	D	E	F	G
Co-curricular		Vocational				
H		I				

Examples:

(a) A060302T: Arts/Political Science/Third semester/ 2nd paper/ Theory
(b) B030201T: Science/Mathematics/Second semester/ 1st paper/ Theory
(c) B010401P: Science/Physics/Fourth semester/ 1st paper/ Practical
(d) C010506T: Commerce/Commerce/Fifth semester/ 6th paper/ Research Project
(e) F020504P: Management/Finance/Fifth semester/4th paper/Practical

2/2

Tables for Subject codes in Each Faculty

Faculty: Arts **Faculty Code: A**

S.No.	Subject/Program	Program	Subject Code
1	Hindi	B.A.+M.A.	01
2	Sanskrit	B.A.+M.A.	02
3	Urdu	B.A.+M.A.	03
4	English	B.A.+M.A.	04
5	History	B.A.+M.A.	05
6	Political Science	B.A.+M.A.	06
7	Sociology	B.A.+M.A.	07
8	Economics	B.A.+M.A.	08
9	Psychology	B.A.+M.A.	09
10	Philosophy	B.A.+M.A.	10
11	Geography	B.A.+M.A.	11
12	Defense and Strategic Studies	B.A.+M.A.	12
13	Home science	B.A.+M.A.	13
14	Fine Art	B.A.+M.A.	14
15	Ancient history	B.A.+M.A.	15
16	Social Work	B.A.+M.A.	16
17	Anthropology	B.A.+M.A.	17
18	Library and information Science	B.A.+M.A.	18
19	BLIS	B.A.+M.A.	19
20	MLISC	B.A.+M.A.	20
21	Drawing and Painting or Visual Arts or Arts	B.A.+M.A.	21
22	ADVERTISING SALES PROMOTION AND SALES MANAGEMENT	B.A.+M.A.	22
23	ARCHAEOLOGY & MUSEOLOGY	B.A.+M.A.	23
24	EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION	B.A.+M.A.	24
25	FOREIGN TRADE	B.A.+M.A.	25
26	HUMAN RIGHTS	B.A.+M.A.	26
27	JOURNALISM	B.A.+M.A.	27
28	LOK PRASASHAN	B.A.+M.A.	28
29	MAHILA ADDHYAYAN25	B.A.+M.A.	29
30	MUSIC (SITAR)	B.A.+M.A.	30
31	MUSIC (TABLA)	B.A.+M.A.	31
32	MUSIC (VOCAL)	B.A.+M.A.	32
33	MUSIC (DANCE)	B.A.+M.A.	33
34	PERFORMING ART	B.A.+M.A.	34
35	OFFICE MANAGEMENT AND SECRETARIAL PRACTICE	B.A.+M.A.	35
36	ARABIC	B.A.+M.A.	36
37	FRENCH	B.A.+M.A.	37
38	PUNJABI	B.A.+M.A.	38

39	SINDHI BHASHA	B.A.+M.A.	39
40		B.A.+M.A.	40

Faculty: Science **Faculty Code: B**

S.No.	Subject/Program	Program	Subject Code
1	Physics	B.Sc.+M. Sc.	01
2	Chemistry	B.Sc.+M. Sc.	02
3	Mathematics	B.Sc.+M. Sc.	03
4	Botany	B.Sc.+M. Sc.	04
5	Zoology	B.Sc.+M. Sc.	05
6	Statistics	B.Sc.+M. Sc.	06
7	Computer Science	B.Sc.+M. Sc.	07
8	Microbiology	B.Sc.+M. Sc.	08
9	Geology	B.Sc.+M. Sc.	09
10	BIOTECHNOLOGY	B.Sc.+M. Sc.	10
11	BIOCHEMISTRY	B.Sc.+M. Sc.	11
12	COMPUTER APPLICATION	B.Sc.+M. Sc.	12
13	GENETICS & GENOMIC	B.Sc.+M. Sc.	13
14	ELECTRONICS	B.Sc.+M. Sc.	14
15	ENVIRONMENTAL SCIENCE	B.Sc.+M. Sc.	15
16	INDUSTRIAL FORESTRY	B.Sc.+M. Sc.	16
17	INDUSTRIAL MICROBIOLOGY	B.Sc.+M. Sc.	17
18	INFORMATION TECHNOLOGY	B.Sc.+M. Sc.	18
19	INDUSTRIAL CHEMISTRY	B.Sc.+M. Sc.	19
20	INSTRUMENTATION	B.Sc.+M. Sc.	20
21	SEED TECHNOLOGY	B.Sc.+M. Sc.	21

Faculty: Commerce **Faculty Code: C**

S.No.	Subject/Program	Program	Subject Code
1	Commerce	B.Com.+M. Com.	01
2			02
3			
4			
5			
6			

Faculty: **Agriculture** Faculty Code: **D**

2/4

S.No.	Subject/Program	Program	Subject Code
1	Agriculture	B.Sc.(Ag.)+M.Sc. (Ag.)	01
2	Genetics and Plant Breeding	B.Sc.(Ag.)+M.Sc. (Ag.)	02
3	Plant Protection	B.Sc.(Ag.)+M.Sc. (Ag.)	03
4			
5			
6			

Faculty: **Education** Faculty Code: **E**

S.No.	Subject/Program	Program	Subject Code
1	Education	B.A.+M.A.	01
2	Physical Education	B.A.+M.A.	02
3	Integrated B.A.B.Ed.	B.A.B.Ed.	03
4	Integrated B.Sc.B.Ed.	B.Sc.B.Ed.	04
5	Integrated B.Com.B.Ed.	B.Com.B.Ed.	05
6	B.Ed.	B.Ed.	06
7	M.Ed.	M.Ed.	07
8	Physical Education	B.P.Ed.+M.P.Ed.	08

Faculty: **Management** Faculty Code: **F**

S.No.	Subject/Program	Program	Subject Code
1	B.B.A.+M.B.A.	B.B.A.+M.B.A.	01
2	M.B.A. Finance		02
3	M.B.A. Marketing		03
4			
5			
6			

Faculty: Law **Faculty Code: G**

7/5

S.No.	Subject/Program	Program	Subject Code
1	Law	B.A.+M.A.	01
2	Integrated B.A.L.L.B.	B.A.L.L.B.	02
3	Integrated B.Sc.L.L.B.	B.Sc.L.L.B.	03
4	Integrated B.Com.L.L.B.	B.Com.L.L.B.	04
5	L.L.B.	L.L.B.	05
6	L.L.M.	L.L.M.	06

Faculty: Vocational Studies **Faculty Code: V**

S.No.	Subject/Program	Program	Subject Code
1	Airline, Tourism and Hospitality Management	B.Voc+M.Voc	01
2	Medical Lab and Molecular Diagnostic Technology	B.Voc+M.Voc	02
3			03
4			04
5			05
6			06